



क्रमांक:जेपीडी/मु.अ.(नि.मा.-मुख्यालय)/पत्रा. /प्रे. 198

दिनांक 04.09.2020

### आदेश

वर्तमान में नये विद्युत घरेलू कनेक्शन के आवेदन संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में ऑन लाईन प्राप्त किये जाते हैं एवं डिमाण्ड नोटिस जारी होने के पश्चात राशि एवं संबंधित कागजात जमा होने पर विद्युत कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं पर जो आवेदक सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन जमा कराना चाहते हैं उनके लिए हर सहायक अभियंता कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है। संबंधित आवेदक हेल्प डेस्क पर सम्पर्क कर अपने आवेदन का पंजीयन करा सकते हैं। जहाँ मात्र सर्विस लाईन से ही कनेक्शन संभव है ऐसी स्थिति में डिमाण्ड राशि एवं वांछित कागजात जमा होने के उपरान्त 7 दिन में कनेक्शन किये जा रहे हैं।

जानकारी के अभाव में कुछ आवेदकों के विद्युत निगम कार्यालय के हेल्पडेस्क पर सम्पर्क ना कर दूसरे लोगों द्वारा गुमराह किये जाने की सूचनाएँ मिल रही है जिससे आवेदक को एक ओर पेशानी होती है, दूसरी ओर कनेक्शन में भी विलम्ब हो रहा है।

अतः घरेलू विद्युत कनेक्शन अतिशीघ्र किये जाने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय पर शिविर लगाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं जिसकी सूचना संबंधित अधीक्षण अभियंता समाचार पत्र के माध्यम से आयोजन के 3 दिन पूर्व प्रेषित करेंगे एवं वांछित कागजात यथा भरा हुआ आवेदन पत्र, विद्युत फिटिंग का घोषणापत्र/प्रमाण पत्र, भवन के स्वामित्व का प्रमाण यथा रजिस्ट्री, किरायानामा (यदि किरायेदार है) इत्यादि प्राप्त कर और शहरी क्षेत्र में स्थायी शुल्क 3000 रुपये, मीटर सुरक्षा राशि 350 रु. (1 फेज) या 650रु. (3 फेज) एवं धरोहर राशि 100 रु. प्रति कि.वा. (किरायेदार के मामले में 200रु. प्रति कि.वा.) इत्यादि शुल्क जमा किया जाकर (जिसकी रसीद शिविर में ही प्रदान की जावेगी) शीघ्र कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही करेंगे।


निवेदन है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठावे। जयपुर शहर में ये शिविर 7 सितम्बर से 9 सितम्बर (सोमवार, मंगलवार, बुधवार) तीन दिन






प्रभास्मि शशि सूर्ययोः

लगातार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आयोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार जयपुर के अलावा जयपुर डिस्कॉम के अन्य सहायक अभियंता कार्यालयों में भी ये शिविर लगातार 3 दिन तक आयोजित किये जायेंगे। जिसमें पूर्व में भी प्राप्त आवेदन के डिमाण्ड नोटिस की राशि-मय कागजात प्राप्त कर कनेक्शन स्वीकृत किये जायेंगे। यथासम्भव सहायक अभियंता कार्यालय, मुख्यालय पर लम्बित सर्विस लाईन कनेक्शन अगले 3 दिन में दिये जावेंगे जिसके लिए सर्विस लाईन, मीटर विद्युत निगम द्वारा उपलब्ध करावाये जावेंगे।

  
(ए.के. गुप्ता)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन/कोटा जोन/भरतपुर जोन) जयपुर डिस्कॉम जयपुर/कोटा/भरतपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता (जेसीसी/जेपीडीसी/परि. व संघा.), जयपुर डिस्कॉम, .....।

  
(उमेश गुप्ता)  
मुख्य अभियन्ता